न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही (राज.)

(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. भंवरलाल पुरोहित पुत्र शंकरलाल पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- आई.सी.आई. सी.आई. बैंक गली, सिरोही, जिला- सिरोही (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही, जिला- सिरोही

2. स्मिता पटेल, निवासी- 364, चौधरी बलदेव सिंह कॉलोनी, वार्ड नं. 5, सुमेरपुर, जिला- पाली (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- खुशबु ऐजेन्सी, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. बाबु भाई पुत्र मरगा भाई, निवासी-364 बलदेव सिंह कॉलोनी, सुमेरपुर, तहसील- सुमेरपुर, जिला-पाली (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- बी.के. पटेल एण्ड कम्पनी, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली

4. Suchita Jain W/o Ankur Jain, Shrishti first floor, Circular Road, Behind Gouriya Math Mandir, Milan Pally, Siliguri, Darjeeling, West Bengal-734005
(एफ.बी.ओ. एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म)

फर्मः- CHANDRA TEA INDUSTRY, Bhagavati Kunj, Mukunda das Road, Milan Pally, Siliguri, Darjeeling, West Bengal-734005

प्रकरण संख्याः 64/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चारण, प्रतिवादी संख्या- 4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 जून, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 15.12.2020 को फर्म ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रतिवादी विक्रेता भंवरालाल पुरोहित पुत्र शंकरलाल पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक गली, सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का नमूना संख्या S[illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./106[illegible] में मिथ्याछाप

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल पुरोहित) ने इस न्यायालय में दिनांक 02.2.2022 को उपस्थित होकर एवं प्रतिवादी संख्या-3 (बाबुभाई) ने दिनांक 16.3.2022 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 (स्मिता पटेल) ने डाक के माध्यम से इस न्यायालय में जवाब प्रेषित किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चारण उपस्थित हुये, लेकिन प्रतिवादी संख्या-4 के वकील को प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादी संख्या-4 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्तानुसार अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 के अधिवक्ता की दिनांक 19.5.2023 को बहस सुनी गई। जिन्होंने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी भंवरलाल पुरोहित से उक्त खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित नही की है। प्रतिवादी संख्या-4 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट की प्रति नही भिजवाई है, जिसके कारण रेफरल लेब से नमूने के द्वितीय भाग की जांच कराने के अधिकार से प्रतिवादी संख्या-4 वंचित रहा है, जो उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। यह कि निर्माता फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर अधिनियम अनुसार पूर्ण सूचना आदि अंकित कर ही खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.12.2020 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म ओमकार स्टोर, मैन बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म ओमकार स्टोर, मैन बाजार, सिहरोही में मालिक एवं खाद्यकारोबाकर्ता की हैसियत से भंवरलाल पुरोहित पुत्र शंकरलाल पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक गली, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म ओमकार स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत

...पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल पुरोहित को उपस्थित गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान के अन्दर फर्श पर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के 3 पैक्ड बैग (प्रत्येक 24 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के 24 किलोग्राम के 1 (एक) पैक्ड बैग को खोलकर अच्छी तरह से हिलामिला कर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) में से 2 किलोग्राम चाय (Duncans Brand) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं चाय (Duncans Brand) की कीमत 560/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) विक्रेता को अदा की एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल पुरोहित व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, खाली व सूखे प्लास्टिक जार दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1324, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम चाय (Duncans Brand), नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल पुरोहित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों प्लास्टिक जारों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा चाय (Duncans Brand) को चारों खाली प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा चाय (Duncans Brand) के लेबल को एक नमूना जार के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। फिर चारों नमूना जारों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-1324 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल पुरोहित व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल [illegible] से खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही [illegible] ... पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (कांकरिया ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.12.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा भावना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.12.2020 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का नमूना संख्या S-1324 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1065/Act/2020/40 दिनांक 06.1.2021 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रतिवादी विक्रेता भंवरलाल पुरोहित से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का नमूना संख्या S-1324 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्मने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के निर्माण/पैकिंग की तिथि एवं FSSAI License Nomber अंकित किये हुए नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/255-58 दिनांक 15.1.2021 से प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल पुरोहित) व निर्माता फर्म को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होनें पुन: जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल पुरोहित) की उंक्त फर्म ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) को फर्म खुशबु एजेन्सी, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला- पाली से बिल/टेक्स इनवोईस नम्बर 5361 दिनांक 08.12.2020 से क्रय किया गया, जो प्रतिवादी संख्या-2 (स्मिता पटेल) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-2 (स्मिता पटेल) की फर्म खुशबु एजेन्सी, मैन बाजार, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) को फर्म बी.के. पटेल एण्ड एम्पनी, मैन मार्केट, सुमेरपुर से बिल/टेक्स इनवोईस नम्बर 3505 दिनांक [illegible].12.2020 से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या-3 (बाबूभाई) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-3 (बाबूभाई) की फर्म बी.के.

...पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

पटेल एण्ड कम्पनी, मैन मार्कैट, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) को फर्म Chandra Tea Company से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या-4 (Shuchita Jain) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी भंवरलाल पुरोहित पुत्र शंकरलाल पुरोहित, निवासी- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक गली, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओमकार स्टोर, मैन मार्केट, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 3,000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty), प्रतिवादी स्मिता पटेल, निवासी-364 चौधरी बलदेवी सिंह कॉलोनी, वार्ड नं. 5, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खुशबु एजेन्सी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी बाबु भाई पुत्र मरगा भाई, निवासी- 364, बलदेव सिंह कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बी.के.पटेल एण्ड कम्पनी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (Duncans Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Suchita Jain W/o Ankur Jain, Shrishti first floor, Circular Road, Behind Gouriya Math Mandir, Milan Pally, Siliguri, Darjeeling, West Bengal-34005, (एफ.बी.ओ. एवं प्रोपराईटर निर्माता फर्म), फर्म CHANDRA TEA INDUSTRY, Bhagavati Kunj, Mukunda das Road, Milan Pally, Siliguri, Darjeeling, West Bengal-734005 पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:44 IST
Reason: SelfAttested